(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3963 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.09.2017 पारित द्वारा तहसीलदार तह0 मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 14/अ-27/2016-17

---

1. कुंवरलाल पुत्र स्व0 नन्हें भैया
2. श्रीमती रमकु पत्नी कुंवरलाल यादव
   निवासी- ग्राम खैरा, तहसील
   मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

श्रीमती रामदेवी पत्नी घनश्याम यादव
निवासी- ग्राम खैरा, तह0 मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. कुलश्रेष्ठ

आदेश

(आज दिनांक 19/04/2018 **.....को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार तह0 मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 14/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार मोहनगढ़ के न्यायालय में बंटवारे हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जबकि

इन्हीं पक्षकारों का प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 10678/2016 माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 06.11.2017 नियत है। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.09.2017 को हल्का पटवारी को फर्द प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत विचार किए बिना जो आदेश दिया गया है वह नितांत अवैध, अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिए हल्का पटवारी को फर्द प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जो कि गलत है। अनावेदक ने उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण को छिपाकर तहसीलदार के न्यायालय में उक्त प्रकरण दर्ज किया। इस कारण तहसीलदार का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक 10678/2016 में आदेश दिनांक 09.11.2016 के अनुसार रमकू का देहावसान दौराने मुकदमा हो गया है, लेकिन आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी में मृतक व्यक्ति रमकू को पक्षकार बनाया गया है, जो विधि के सिद्धांतों के विपरीत है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 10678/2016 द्वारा दिनांक 07.02.2017 को याचिकाकर्ता की ओर से किसी के उपस्थित न होने के कारण याचिका निरस्त कर दी गई एवं अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिया गया।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरुद्ध जो निगरानी प्रस्तुत की गई है, वह गलत तथ्यों पर आधारित है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2017 को निरस्त कर दी गई तथा स्थगन आदेश भी समाप्त कर दिया गया था।

तहसीलदार मोहनगढ़ द्वारा अपना आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत श्रीमती रमकू की ओर से प्रस्तुत एमसीसी-1188/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के अनुसार याचिका को रेस्टोर करते हुए असल नंबर के साथ रेग्यूलर बेंच में दिनांक 27.07.2017 को सुनवाई हेतु नियत किया गया। उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए गए स्थगन आदेश पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया, जबकि पूर्व में दिनांक 07.02.2017 को याचिका निरस्त करते हुए स्थगन समाप्त कर दिया गया। दिनांक 10.07.2017 के पश्चात आज दिनांक तक प्रकरण में सुनवाई नहीं हुई।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को फर्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश अभी नहीं दिया है, जिससे किसी पक्षकार के हित प्रभावित होते हों। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता द्वारा एक मात्र तर्क यह दिया गया है उभयपक्षों के मध्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, परंतु उक्त प्रकरण में क्या विवाद का बिंदु है इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं और ना ही माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। परिणामत: यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर